

GOVERNMENT OF INDIA/BHARAT SARKAR
MINISTRY OF RAILWAYS/RAIL MANTRALAYA
(RAILWAY BOARD)

RBE No. 223/91

S.C.No.1 to MC No.21

E(NG)I/91/RG1/1

New Delhi, dated: 27/12/91

The General Managers (P),
All Indian Railways &
Production Units etc.

Sub: Re-appointment in Group 'C' categories.

---.---.---

In terms of instructions contained in Board's letter No.E52RSI/55/3 dated 14/3/1955, a person who has resigned or retired prematurely can be reappointed as a fresh entrant on bottom seniority with the approval of an officer of at least Junior Administrative Rank.

2. The matter has since been reviewed by the Board and it has now been decided that in all such cases, reappointment shall require the personal approval of the concerned co-ordinating Head of the Department (HOD).

3. Please acknowledge receipt.

K. B. Lali

(K.B. LALI)
JOINT DIRECTOR, ESTABLISHMENT (N)
RAILWAY BOARD.

Copy to:-

1. The Directors, Indian Railway Institute of Mechanical & Electrical Engineering, Jamalpur, IRISSET/Secunderabad, Indian Railway Institute of Civil Engineering/Pune, IRIEE/Nasik and the Principal, Railway Staff College, Vadodara.
2. The General Secretary, National Federation of Indian Railwaymen, 3, Chelmsford Road, New Delhi-110 055.
(with 35 spares.

.....2.

3. The General Secretary, All India Railwaymen's Federation, 4, State Entry Road, New Delhi-55 (with 35 spares).
4. The Secretary, Railway Board Group 'A' Officers' Association, Room No.256, Rail Bhawan, New Delhi.
5. The Railway Board Class-II Officers' Association Room No.310, Rail Bhawan, New Delhi.
6. The Secretary, Ministerial Staff Association, Railway Board.
7. The Secretary, Federation of Railway Officers' Association, Room No.317, Rail Bhawan, New Delhi.
8. The Secretary, Class-IV Staff Association (Group 'D'), Railway Board, New Delhi.
9. The Indian Railways Class-II Officers' Association, Rail Nilayam, Secunderabad.
10. PS/Adv.(Vig) with two spares, PS(Adv./S).
11. DE(Welfare), DDE(R)II (with two spares), & PA/EDE(N).

भारत सरकार
रेल मंत्रालय रेलवे बोर्ड

आर. बी. ई. सं. 223/91

मास्टर परिपत्र सं. 21 का अनुसूचक
परिपत्र सं. 1

सं. ई. एन जी 1/91/आर जी 1/1 नई दिल्ली, दिनांक 27.12.1991

महाप्रबंधक कार्मिक,
सभी भारतीय रेलें तथा
उत्पादन इकाइयाँ आदि ।


विषय: - ग्रुप "सी" की कोटियों में पुनर्नियुक्ति ।

.....

बोर्ड के 14.3.1955 के पत्र सं. 52 आर एस 1/55/3 में अंतर्दिष्ट अनुदेशों के अनुसार, जिस व्यक्ति ने त्यागपत्र दे दिया हो अथवा जो समयपूर्व सेवानिवृत्त हो गया है, उसे कम से कम कनिष्ठ प्रशासी ओहदे के एक अधिकारी के अनुमोदन से सबसे नीचे की वरिष्ठता पर नये प्रदेशक के रूप में पुनर्नियुक्त किया जा सकता है ।

2. बोर्ड द्वारा इस मामले की समीक्षा की गयी है तथा अब यह विनिश्चय किया गया है कि ऐसे सभी मामलों में, पुनर्नियुक्ति के लिए विभाग के संबंधित समन्वय प्रमुख का व्यक्तिगत अनुमोदन अपेक्षित होगा ।

3. कृपया पावती दें ।


क. बी. लाल

संयुक्त निदेशक, स्था. अराज. रेलवे बोर्ड.

प्रतिलिपि प्रेषित :- निदेशक, भा. रे. यां. तथा बि. इंजी. संस्थान/जमालपुर,
भा. रे. सि. एवं टू. सं. संस्थान/सिकन्दराबाद,
भा. रे. सि. इंजी. संस्थान /पुणे, भा. रे. बि. इंजी. संस्थान/
नासिक तथा प्रिंसिपल, रेलवे स्टाफ कालेज, वडोदरा ।

2. जनरल सेक्रेटरी, नेशनल फ़ैडरेशन ऑफ़ रेलवेमैन, 3, चेम्सफोर्ड रोड, नई दिल्ली-110055 §35 अतिरिक्त प्रतियों सहित।
3. जनरल सेक्रेटरी, आल इंडिया रेलवेमैन फ़ैडरेशन, 4, स्टेट एन्ट्री रोड, नई दिल्ली -110055 §35 अतिरिक्त प्रतियों सहित।
4. सचिव, रेलवे बोर्ड ग्रुप "ए" आफ़िसेर्स एसोसिएशन, कमरा नं. 256, रेल भवन, नई दिल्ली ।
5. रेलवे बोर्ड क्लास-11 आफ़िसेर्स एसोसिएशन, कमरा नं. 310, रेल भवन, नई दिल्ली ।
6. सचिव, मिनिस्ट्रीयल स्टाफ़ एसोसिएशन, रेलवे बोर्ड ।
7. सचिव, फ़ैडरेशन ऑफ़ रेलवे आफ़िसेर्स एसोसिएशन, कमरा नं. 317, रेल भवन, नई दिल्ली ।
8. सचिव, क्लास 1V स्टाफ़ एसोसिएशन ग्रुप "डी" रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली ।
9. इंडियन रेलवेज़ क्लास-11 आफ़िसेर्स एसोसिएशन, रेल नितयग, सिर्क्याराबाद ।
10. नि. स./सलाहकार §सतर्कता§ दो अतिरिक्त प्रतियों सहित, नि. स. §सलाहकार/का. §.
11. नि. स्था. §कल्याण§, उप नि. स्था. §आर§ 11 § दो अतिरिक्त प्रतियों सहित तथा वै. स./का. नि. स्था. §अराज. §.